उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या :429–कार्य/चौदह–पाकालि/2008–3–के/2000 दिनांकः अप्रैल १९, ,2008

कार्यालय–ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 73वीं बैठक दिनांक 253.2008 एवं तत्कम मे दिनांक 19.04.2008 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुपालन में विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/ दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को एवं उ0 प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि0 में वर्तमान में प्रदत्त कय/कार्य समिति के वित्तीय अधिकारों को विकेन्द्रीकृत करते हुए एतद्द्वारा कय/कार्य समितियों को निम्न वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैं:–

1. सभी विद्युत वितरण निगमों की कारपोरेट कय/कार्य समिति जिसके अध्यक्ष वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक होंगे। इस कारपोरेट कय/कार्य समिति के वित्तीय अधिकार रूपये एक करोड़ से अधिक और अधिकतम् रूपये 10 करोड़ तक होंगे। रूपये 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की कारपोरेट कय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये तथा उपरोक्त प्रकरणो पर विचार करने के सम्बन्ध मे आयोजित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की कारपोरेट कय/कार्य समिति की बैठको मे भाग लेने हेतु सम्बन्धित वितरण निगमो के पूर्ण कालिक निदेशक सदस्य के रूप मे मनोनीत माने जायेगें।
2. विभिन्न विद्युत वितरण निगमों की निदेशक कय/कार्य समिति – क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता कय/कार्य समिति की सीमा से अधिक रूपये एक करोड़ तक।
3. वितरण निगमों द्वारा जो भी व्यय किया जायेगा वह सम्बन्धित वितरण निगम के आय–व्यय में निर्धारित प्राविधानों से अधिक नहीं होगा।
4. उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि0, की कारपोरेट कय/कार्य समिति –रूपये पांच करोड़ से अधिक समस्त मामले जिसके अध्यक्ष उ0 प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि0 के प्रबन्ध निदेशक होंगे।
5. उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लि0, निदेशक कय/कार्य समिति –रूपये पचांस लाख से अधिक रू0 पांच करोड़ तक जिसके अध्यक्ष निदेशक (पारेषण) होंगे।
6. उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कारपोरेट कय/कार्य समिति के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 होंगे।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशकगण विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/ट्रांस्को इन वित्तीय अधिकारों का अपने–अपने निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
8. इस सम्बन्ध में कय/कार्य समितियों का कोरम एवं अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से